

कार्यालय – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन, स्थान-उरई।

पत्रांक-मीमो/जि.वि.से.प्रा./2019/पीएलए. सदस्य/विज्ञप्ति

दिनांक-01.08.2019

कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जालौन में जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण हेतु "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा- 22बी" के अन्तर्गत सृजित की गयी स्थाई-लोकअदालत हेतु 02 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। इन सदस्यों का कार्यकाल 05 वर्ष का रहेगा किन्तु अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक ही कार्य कर सकेंगे (जो पहले हो)। इस पद हेतु वह व्यक्ति पात्र होंगे, जिन्हें जनोपयोगी सेवाओं का अनुभव हो। जनोपयोगी सेवाओं से तात्पर्य वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा, डाक, तार, टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जलप्रदाय, लोकसफाई या स्वच्छता प्रणाली, स्कूल कालेज अथवा शिक्षण संस्थान, आवासीय एवं रियल स्टेट सेवायें, अस्पताल या औषधालय में सेवा अथवा बैंकिंग या बीमा सेवा से है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार लोकहित में (यथास्थिति) अधिसूचना द्वारा उपयोगिता सेवा होना घोषित करे।

उक्त सदस्यों को प्रति कार्यदिवस 1,500/- (एक हजार पांच सौ रू0) मानदेय और मु0 5,000/- (पांच हजार रू0 मात्र) मासिक यात्रा-भत्ता देय होगा।

इस पद हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप किसी भी कार्य-दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन स्थान उरई कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट जालौन ऐट उरई की साइट

<https://districts.ecourts.gov.in/jalaun> से डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप में भरे हुये आवेदन पत्र, 02 पासपोर्ट साइज फोटो एवं स्वयं का पता लिखा व पंजीकृत डाक टिकट लगे 02 लिफाफे, समस्त शैक्षिक और अनुभव प्रमाण-पत्रों /सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन, स्थान-उरई के

कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि-17.08.2019 है। इस तिथि में सायंकाल 05

बजे के पूर्व तक आवेदन पत्र जिला प्राधिकरण जालौन की अधिकृत मेल-आईडी

dlsajalaun@gmail.com पर भी ई-मेल द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। उपरोक्त

तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विलम्ब से

प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन, स्थान उरई को सुरक्षित है।

नोट- जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

एसडी/-

प्रभारी सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जालौन, स्थान-उरई।

Proforma for Advertisement
Notice regarding vacancy of Members in Permanent Lok Adalat

Application in the prescribed formate is invited from persons having adequate experience in public utility services (Transport service for the carriage of passangers or goods by air, road or water; or postal telegraph or telephone services; or supply of power, light or water to the public by any establishment; or system of public conservancy or sanitation; or service in hospital or dispensary; or insurance service; or banking service; or education or educational institutions; or housing and real estate services) for filling up the post of Member, PLA of the districts of UP.

Number of posts :- 02 (vacant post (s) in respective PLA Jalaun at Orai)

Entitlement :- sitting fee of Rs. 1500/- per sitting and Rs. 5000/- conveyance allowance per month.

Period of appointment :- The Member shall hold office for a term of 5 years or till the age of sixty-five years, whichever is earlier. Applicant must attach two recent passport photos and two self address stamped envelope with the application.

Encl. As above.

Sd/-
I/c Secretary,
District Legal Services Authority.
Jalaun at Orai.

Application (Proforma) for the post of Members, Permanent Lok Adalats

(Established under section, 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987)

(To be filled personally by the applicant)

1. Name.....

(Capital letters)

2. Father's Name/w/o.....

3. Present address

.....

3. Mobile & Landline No.....

E-mail ID.....

4. Occupation.....

5. Permanent Address (attached copy of address proof).....

.....

6. Date of Birth.....

7. Educational Qualification.....

.....

8. Any other special qualification/achievement, If any.....

.....

9. Experience in the field of public Utility Services/.....

.....

Legal Services Institutions.....

10. List of certificates attached.....

.....

.....

Date:

Place:

Signature of applicant

Note: Attach photocopies of relevant papers regarding point no. 5 to 8.

(Apply on the prescribed format on foolscap size paper)

